



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2399]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 11, 2013/आश्विन 19, 1935

No. 2399]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2013/ASVINA 19, 1935

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2013

का.आ. 3092(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और (3) तथा धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केरल उच्च न्यायालय पूर्व न्यायाधीश श्री मेलत शशिधरन नम्पियार को 9 अक्टूबर, 2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 67 वर्ष की होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (खंड IV)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2013

S.O. 3092(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010(19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Melath Sasidharan Nambiar, former Judge of Kerala High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from the 09th October, 2013 for a period of five years or till he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier.

[F.No. 17(30)/2012-PL/NGT (Vol. IV)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.